भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4175 का उत्तर

रेलवे कुलियों को सुविधाएं

4175. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुलियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कुलियों को नियमित वेतनमान तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुलियों के काम को अधिक व्यवस्थित तथा गरिमापूर्ण बनाने के लिए आधुनिक उपकरण (ट्रॉली, बैग कैरियर) प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुलियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कुलियों को दुर्घटना बीमा तथा जीवन बीमा योजनाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुलियों के लिए विश्राम गृह, पेयजल, चिकित्सा सहायता तथा शौचालयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): सहायक (लाइसेंसधारी पोर्टर/कुली) ऐसे लाइसेंसधारी होते हैं, जिन्हें यात्रियों के सामान ढोने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जिसका शुल्क यात्रियों द्‌वारा सीधे सहायकों को देय होता है। सहायकों की दी जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

sk

(i) पास/पीटीओ सुविधा: एक कैलेंडर वर्ष में एक सेट 'मानार्थ एडमिन' चेक पास और द्वितीय/शयनयान श्रेणी के दो सेट सुविधा टिकट आदेश।

(ii) शैक्षिक सुविधाएं: रेलवे और रेलकर्मी संगठनों/महिला समितियों द्वारा संचालित स्कूलों में सहायकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(iii) वर्दी सुविधाएं: वर्दी के रूप में प्रति वर्ष तीन लाल शर्ट और एक ऊनी शर्ट की आपूर्ति की जाती है।

(iv) चिकित्सा सुविधाएं: रेल कुलियों और उनके परिवार के सदस्यों को उन रेलवे अस्पतालों/रेल स्वास्थ्य इकाइयों में रेल चिकित्सा नियमों में यथा परिभाषित रेल कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जहां कुली वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें रेलों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को छोड़कर अन्य रेल स्वास्थ्य इकाइयों/रेलवे अस्पतालों में रेफर भी शामिल है।

(v) विश्राम कक्ष सुविधा: सभी स्टेशनों पर सहायकों के लिए पेयजल, बैरक बेड आदि सुविधा वाले विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने तथा 50 या उससे अधिक सहायकों वाले स्टेशनों पर टीवी और आरओ जल वाले विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय रेलों को पहले से ही अनुदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा, सहायक, जन साधारण के लिए उपलब्ध प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम-एसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम-जेजेबीवाई) योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।

सहायक, यात्रियों के सामान की ढुलाई के लिए रेल की हल्की ट्रॉलियों/हैंड बैरो का, जहां कहीं उपलब्ध हों, का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।

******

sk